राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1373/2011/चित्तौडगढ

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–चतुर्थ, मुख्यालय–निम्बाहेडा,चित्तौडगढ अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स शरीफ मौहम्मद
मंडफिया, चित्तौडगढ प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.क. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं

निर्णय दिनांक 16.03.2017

निर्णय

यह अपील अपीलार्थी विभाग की ओर से उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 15/**वैट**/2010–11 में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 08.03.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कुल निविदा का अधिकांश कार्य 25 प्रतिशत मैटेरियल सडक कार्य में प्रयुक्त सीमेन्ट का किया है जबकि कर निर्धारण अधिकारी ने 15 प्रतिशत अधिक का अपंजीकृत व्यवहारियों से खरीद मानकर करारोपण किया गया है। इससे क्षुब्ध होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद को कम करते हुए शेष खरीद में से आधी खरीद पर करारोपण को स्वीकार किया जाकर शेष आधी खरीद पर करारोपण को अस्वीकार किया है, जिससे क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के अपंजीकृत व्यवहारियों से की गई खरीद में से रू. 75,452/–की खरीद को कम किया जाकर कर रू. 9451.50 कम किया गया है, जो अविधिक है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.03.2011 प्रकरण के तथ्यों के विरूद्ध एवं अविधिक है। उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी ने कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए अपंजीकृत खरीद को प्रमाणित करने के पश्चात बढाया है, जिसका संविदा कार्य के निस्तारण में प्रयुक्त किया गया है। उनका कथन है कि प्रकरण के तथ्यों के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपंजीकृत खरीद को विधिक रूप से बढाया गया है। उन्होंने

उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी को अपास्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद सूचना अपील सुनवाई के समय कोई भी उपस्थित नहीं हुआ इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर प्रकरण के गुंणावगुण पर एक पक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलाधीन आदेश का का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपंजीकृत खरीद को 40 प्रतिशत से करारोपण हेतु सूचना पत्र जारी करने पर प्रत्यर्थी ने डाक से दिनांक 23.03.2010 को प्रेषित किया है, जिस प्रत्युत्तर दिनांक 25.03.2010 को डाक से प्राप्त हुआ है, जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के पेज 29 पर उपलब्ध है। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्वयं ने कुछ अपंजीकृत खरीद को लेखा पुस्तकों में दर्शाया है, जिसे कम मानकर कर निर्धारण अधिकारी ने अतिरिक्त करारोपण किया है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अधिकृत प्रतिनिधि की सहमति से बढाई गई अतिरिक्त खरीद में से व्यवहारी द्वारा घोषित अपंजीकृत खरीद को कम करते हुए शेष खरीद में से आधी खरीद पर करारोपण किये जाने को उचित मानकर प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि अपीलीय अधिकारी ने अपंजीकृत खरीद को कम करने के सम्बन्ध में कोई तार्किक कारण अथवा आधार अपीलाधीन आदेश में नहीं दिया है। अपीलीय अधिकारी को चाहिए था कि व्यवहारी द्वारा घोषित अपंजीकृत खरीद को कम करते हुए शेष खरीद में से आधी खरीद पर करारोपण किया जाकर शेष आधी खरीद पर करारोपण का अस्वीकार करने से पूर्व ठोस एवं तार्किक आधार देना चाहिए थे, जो उनके द्वारा नहीं दिये गये है, इसलिए अपीलीय अधिकारी के आदेश को स्पीकिंग आदेश नहीं कहा जा सकता है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य